<u>नई पेंशन योजना</u>

<u>केन्द्रीय सरकारी सेवा में आए नए कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना में पेंशनरी लाभ</u>

नई पेंशन योजना 1/1/2004 अथवा उसके बाद केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए भर्ती सभी कार्मिकों पर लागू होगी। सेवानिवृत्ति के समय, दी जाने वाली राशि के विषय में नियमों को अभी सरकार द्वारा अंतिम रुप दिया जाना शेष है। तथापि नई पेंशन योजना के अंतर्गत उनके निकटतम संबंधी को दिए जाने वाले लाभों के विषय में अग्रिम आदेश आने तक निम्न प्रावधान किए गए हैः-

(I) अक्षम होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति जो सरकारी सेवा पर गैर आरोपणीय होगी।

(i) सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 38 और नियम 49 के अनुसार अक्षमता पेंशन की गणना।
(ii) सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 50 के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की गणना।

(II) सेवा के दौरान मृत्यु, सरकारी सेवा पर गैर आरोपणीयः-

(i) सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 58 के अनुसार पारिवारिक पेंशन (जिसमें बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन भी शामिल होगी)।
(ii) सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 50 के अनुसार मृत्यु ग्रेच्यूटी।

(III) बीमारी/हताहत होने पर सरकारी सेवा से निलंबन, सरकारी सेवा के प्रति आरोपणीयः-

(i) सी सी एस (विशेष पेंशन)नियम के अनुसार अक्षमता पेंशन।
(ii) सी सी एस (विशेष पेंशन) नियम के साथ सम्मिलित सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 50 के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी।

(IV) सरकारी सेवा के प्रति आरोपणीय सेवा के दौरान मृत्युः-

(i) सी सी एस (विशेष पेंशन) नियम के अनुसार विशेष पारिवारिक पेंशन और संतुलित पेंशनरी लाभ के लिए योजनाएं।
(ii) सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 50 के अनुसार मृत्यु ग्रेच्यूटी।

कार्मिक/उनके परिवार को उपर्युक्त वर्णित लाभों के अतिरिक्त समय-समय पर प्रदत्त मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत भी अंतिम रुप से दी जाएगी।